पत्र सूचना शाखा
(मुख्यमंत्री सूचना परिसर)
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0

मंत्रिपरिषद के महत्वपूर्ण निर्णय

लखनऊ : 06 अगस्त, 2019

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में आज यहां लोक भवन में सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए :–

'मा0 मुख्यमंत्री निराश्रित/बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना' को मंजूरी

मंत्रिपरिषद ने निराश्रित/बेसहारा गोवंश को इच्छुक कृषकों/पशुपालकों/अन्य व्यक्तियों को सुपुर्द किये जाने हेतु 'मा0 मुख्यमंत्री निराश्रित/बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना' को मंजूरी प्रदान कर दी है।

ज्ञातव्य है कि उत्तर प्रदेश पशुधन संख्या के दृष्टिकोण से देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, जहां पर वर्ष 2012 की पशुगणना के अनुसार 205.66 लाख गोवंश हैं। इसके अतिरिक्त प्रदेश में 10 से 12 लाख निराश्रित/बेसहारा गोवंश होने का अनुमान है। विभाग द्वारा निराश्रित एवं बेसहारा गोवंश के संरक्षण एवं भरण–पोषण हेतु स्थायी/अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल, वृहद् गोसंरक्षण केन्द्र/गोवंश वन्य विहार (बुन्देलखण्ड क्षेत्र में)/पशु आश्रय गृह स्थापित एवं संचालित कर उनका संरक्षण एवं भरण–पोषण किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त, प्रदेश में 523 पंजीकृत गोशालाओं को राज्य सरकार द्वारा कुल संरक्षित गोवंश की संख्या के 70 प्रतिशत की संख्या को आधार मान कर 30 रुपये प्रति गोवंश 365 दिनों के लिए अनुदान प्रदान किया जा रहा है। स्थायी/अस्थायी गो आश्रय स्थलों में संरक्षित निराश्रित गोवंश की आश्रय स्थलों में अधिक संख्या होने के कारण उनके रख–रखाव में असुविधा हो रही है, जिसके दृष्टिगत वर्तमान में व भविष्य में जिला प्रशासन द्वारा स्थापित एवं संचालित विभिन्न प्रकार के गोवंश आश्रय स्थलों में संरक्षित निराश्रित/बेसहारा गोवंश को स्थापित प्रक्रिया द्वारा इच्छुक कृषकों/पशुपालकों/अन्य व्यक्तियों को सुपुर्द करते हुए जन सहभागिता बढ़ाए जाने की योजना को लागू करने का निर्णय लिया गया है।

इस योजना के क्रियान्वयन हेतु प्रथम चरण में 01 लाख गोवंश को सुपुर्द किए जाने का प्रस्ताव है, जिस पर अनुमानित व्यय 1 अरब 9 करोड़ 50 लाख रुपये होगा।

जिलाधिकारी जनपद में ऐसे इच्छुक कृषकों/पशुपालकों/अन्य व्यक्तियों को चिन्हित कराएंगे, जो निराश्रित गोवंश को पालने हेतु तैयार हैं। ऐसे इच्छुक कृषकों/पशुपालकों/अन्य व्यक्तियों को जिलाधिकारी द्वारा 30 रुपये प्रति गोवंश/प्रतिदिन की दर से भरण–पोषण हेतु धनराशि सम्बन्धित कृषक/पशुपालक/अन्य व्यक्ति के बैंक खाते में प्रतिमाह डी0बी0टी0 प्रक्रिया द्वारा हस्तान्तरित की जाएगी। निराश्रित/बेसहारा गोवंश (जिनमें ईयर टैग अनिवार्य होगा) को इच्छुक कृषकों/पशुपालकों/अन्य व्यक्तियों को सरकार/जिला प्रशासन द्वारा स्थापित एवं संचालित अस्थायी/स्थायी केन्द्रों के माध्यम से सुपुर्द किया जाएगा।

सरकार द्वारा संचालित अस्थायी/स्थायी केन्द्रों से सुपुर्द किए गये गोवंश से सम्बन्धित अभिलेखीकरण की कार्यवाही सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा स्थानीय समिति (यथा–ग्राम पंचायत, विकासखण्ड, तहसील, जनपद स्तर) के माध्यम से करायी जाएगी एवं स्थानीय समिति प्रगति से सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी/उप–जिलाधिकारी को समय से अवगत कराएगी। चिन्हित कृषक/पशुपालक/अन्य व्यक्ति सुपुर्द किये गये गोवंश को किसी भी दशा में विक्रय नहीं करेगा न ही छुट्टा छोड़ेगा।

इच्छुक कृषकों/पशुपालकों/अन्य व्यक्तियों को निराश्रित/बेसहारा गोवंश के संरक्षण/भरण–पोषण हेतु धनराशि दिये जाने से सामाजिक सहभागिता बढ़ेगी तथा निराश्रित/बेसहारा गोवंश की संख्या में कमी आएगी तथा कृषकों/पशुपालकों को आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बनाने में योजना सहायक होगी। निराश्रित/बेसहारा गोवंश की समस्या के निराकरण में यह योजना सहायक होगी। इससे जनसामान्य को रोजगार मिलने की भी सम्भावना है।

————————————

'उ0प्र0 इलेक्ट्रिक वाहन मैन्युफैक्चरिंग नीति–2019' का प्रख्यापन

मंत्रिपरिषद ने 'उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन मैन्युफैक्चरिंग नीति–2019' के प्रख्यापन को मंजूरी प्रदान कर दी है। यह नीति 'उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति–2017' के पूरक के रूप में तैयार की गयी है। प्रदेश में पहली बार इलेक्ट्रिक वाहन के द्वारा विद्युत आधारित गतिशीलता पर ध्यान केन्द्रित करते हुए नीति बनायी गयी है। यह नीति गजट की तिथि से 05 वर्ष की अवधि तक अथवा उस अवधि तक प्रभावी रहेगी, जब तक कि राज्य सरकार द्वारा इसे संशोधित नहीं किया जाता।

नवीन प्रोद्यौगिकी, उपभोक्ताओं की नयी अपेक्षाओं एवं व्यवसाय के नवीन स्वरूपों (मॉडल्स) के उदय के साथ ही इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग विश्वस्तर पर त्वरित गति से प्रगति कर रहा है।

इलेक्ट्रिक वाहन के बाजार में विश्वस्तर पर विस्तार हो रहा है। जीवाश्म ईंधन की अत्यधिक मांग तथा इसकी उपलब्धता में तेजी से होती हुई कमी के कारण पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन पर परिवहन के प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से विद्युत आधारित गतिशीलता (मोबिलिटी) आवश्यक हो गयी है। नवम्बर, 2016 में लागू किये गये पेरिस समझौते के अन्तर्गत भूमण्डलीय तापक्रम में वृद्धि (ग्लोबल वॉर्मिंग) तथा जलवायु परिवर्तन के खतरे को नियंत्रित करने हेतु कॉर्बन डाई ऑक्साइड उत्सर्जन को सीमित करने के प्राविधान किये गये हैं। मोटर वाहन उद्योग के विद्युतीकरण का लक्ष्य परिवहन प्रणाली को डीकार्बोनाइज करने के निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करना है।

भारतीय ऑटो मोबाइल उद्योग विश्व में वृहद स्तर पर विकास कर रहे उद्योगों में से एक है तथा ऐसी आशा है कि इस सेक्टर के कारण विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) क्षेत्र को गति मिलेगी, जिससे देश की अर्थव्यवस्था में वृद्धि होगी। वर्तमान में चूंकि ऑटो मोबाइल उद्योग अधिकांशतः प्रदूषण में वृद्धि करता है। प्रदूषण को कम करने तथा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार ने यह नीति प्रख्यापित की है।

————————

मृदा में सूक्ष्म तत्वों की कमी को दूर करने एवं भूमि सुधार हेतु जिप्सम वितरण की योजना के अन्तर्गत 75 प्रतिशत अनुदान पर जिप्सम वितरण करने का प्रस्ताव मंजूर

जिप्सम के प्रयोग से भूमि की उर्वराशक्ति बढ़ाने एवं फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि के उद्देश्य से आगामी वर्षों हेतु स्थायी रूप से योजना के संचालन का भी निर्णय

मंत्रिपरिषद ने मृदा में सूक्ष्म तत्वों की कमी को दूर करने एवं भूमि सुधार हेतु जिप्सम वितरण की योजना के अन्तर्गत 75 प्रतिशत अनुदान पर जिप्सम वितरण किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। जिप्सम के प्रयोग से भूमि की भौतिक एवं रासायनिक एवं जैविक गुणों में सुधार तथा जिप्सम में विद्यमान सल्फर एवं कैल्शियम सूक्ष्म तत्व से भूमि की उर्वराशक्ति बढ़ाने एवं फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि के उद्देश्य से आगामी वर्षों हेतु स्थायी रूप से योजना के संचालन का भी निर्णय लिया गया है।

केन्द्र सरकार की विभिन्न योजनाओं (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स एण्ड ऑयल पाम, पूर्वी उत्तर प्रदेश में हरित क्रान्ति के विस्तार की योजना एवं इण्टीग्रेटेड डेवलपमेण्ट प्रोग्राम फॉर जिप्सम डिस्ट्रीब्यूशन (आर0के0वी0वाई से) के अन्तर्गत अनुमन्य 50 प्रतिशत केन्द्रांश अनुदान तथा राज्य सरकार से 25 प्रतिशत का अनुदान राज्यांश के रूप में उपलब्ध कराए जाने का निर्णय लिया गया है।

यह योजना प्रदेश के सभी जनपदों में संचालित है। योजना के अन्तर्गत 'पहले आओ, पहले पाओ' के सिद्धान्त पर पंजीकृत लाभार्थियों को डी0बी0टी0 के माध्यम से अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 2019–20 में कृषकों को निम्नवत् अनुदान उपलब्ध कराए जाने का निर्णय लिया गया है :–

(धनराशि लाख रु0 में)

योजनाओं का नाम	भौतिक लक्ष्य (मी0टन)	कुल लागत रु0 5350 प्रति मी0टन	केन्द्रांश (50 प्रतिशत देय)	राज्यांश (25 प्रतिशत देय)	लाभार्थी अंश (25 प्रतिशत देय)
अ– केन्द्रीय योजनाएं	8889	475.56	237.78	118.89	118.89
ब– इण्टीग्रेटेड डेवलेपमेण्ट प्रोग्राम फॉर जिप्सम डिस्ट्रीब्यूशन (आर0के0वी0वाई से)	12348	660.62	330.31	165.16	165.16
महायोग	**21237**	**1136.18**	**568.09**	**284.05**	**284.05**

इस प्रकार योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 में राज्य सेक्टर से प्रदेश के समस्त जनपदों में अनुदान पर जिप्सम वितरण पर कुल प्रस्तावित धनराशि 284.05 लाख रुपए व्यय होने का अनुमान है। आगामी वर्षों में भी कृषकों को उपरोक्तानुसार ही अनुदान दिया जाएगा।

———————

रिहन्द जलाशय पर 150 मेगावॉट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लाण्ट स्थापित कर, 150 मेगावाट सौर ऊर्जा के उत्पादन के सम्बन्ध में

मंत्रिपरिषद ने रिहन्द जलाशय पर 150 मेगावॉट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लाण्ट स्थापित कर, 150 मेगावाट सौर ऊर्जा के उत्पादन एवं इस ऊर्जा को उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा 3.36 रुपये प्रति यूनिट (0.07 रुपये प्रति यूनिट ट्रेडिंग मार्जिन सहित) पर क्रय को मंजूरी प्रदान कर दी है। रिहन्द जलाशय पर 150 मेगावॉट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लाण्ट हेतु SECI (सोलर इनर्जी कारपोरेशन ऑफ इण्डिया) द्वारा सम्पादित प्रतिस्पर्धात्मक बिडिंग के अन्तर्गत पैकेज–ए में 50 मेगावॉट क्षमता के लिए मेसर्स रिन्यू सोलर पावर प्राइवेट लि0 गुड़गांव, पैकेज–बी में 50 मेगावॉट क्षमता हेतु मेसर्स शापूरजी पालोनजी इन्फ्रास्ट्रक्चर कैपिटल कम्पनी प्राइवेट लि0 मुम्बई तथा पैकेज–सी में 50 मेगावॉट क्षमता के लिए मेसर्स रिन्यू सोलर पावर प्राइवेट गुड़गांव का चयन विकासकर्ता के रूप में किया गया है।

प्रदेश में विगत फरवरी, 2018 में आयोजित इन्वेस्टर्स समिट के दौरान सौर ऊर्जा के विकास हेतु SECI तथा UPJVNL के मध्य हुए MOU के अन्तर्गत क्रियान्वयन हेतु कार्यवाही सम्पादित होगी। यह फ्लोटिंग सोलर पावर प्लाण्ट निजी क्षेत्र में पी0पी0पी0 मोड में लगाये जाने हैं। इस प्रकार प्रदेश में प्राइवेट डेवेलपर्स द्वारा इन्वेस्टमेंट भी होगा तथा इन्वेस्टर्स के बीच एक पॉजिटिव सिग्नल जाएगा।

यह फ्लोटिंग सोलर पावर प्लाण्ट देश में अपनी तरह का प्रथम होने से New Technology Showcase होगी तथा जिसके कारण प्रदेश की तकनीकी क्षेत्र में साख बढ़ेगी तथा यह further investment में सहायक होगा। नये सोलर पावर प्लाण्ट की स्थापना से प्रदेश में रोजगार के नये अवसर प्राप्त होंगे। 100 मेगावॉट क्षमता के फ्लोटिंग सोलर पावर प्लाण्ट मेसर्स रिन्यू सोलर पावर प्राइवेट लि0, गुड़गांव तथा 50 मेगावॉट क्षमता के फ्लोटिंग सोलर पावर प्लाण्ट मेसर्स शापूरजी पालोंजी इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्पनी लि0, मुम्बई द्वारा स्थापित किये जाएंगे।

————————

उ0प्र0 सूचना का अधिकार (प्रथम संशोधन) नियमावली–2019 के प्रख्यापन की मंजूरी

मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकार (प्रथम संशोधन) नियमावली–2019 के प्रख्यापन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है।

उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकार नियमावली, 2015 के नियम–4(2)(ख)(चार) में संशोधन, नियम–4(2)(ख)(पांच) के पश्चात नियम–4(2)(ख)(छः) जोड़ा जाना तथा नियमावली के साथ संलग्न प्रारूप–6 में संशोधन किये जाने के उद्देश्य से 'उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकार (प्रथम संशोधन) नियमावली–2019 के प्रख्यापन का निर्णय लिया गया है। नियमावली में संशोधन से नागरिकों को सूचना प्राप्त करने व लोक प्राधिकरणों में नियुक्त जन सूचना अधिकारियों को सूचना का अधिकार से सम्बन्धित मामलों के निस्तारण में सुगमता होगी।

ज्ञातव्य है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–27 में दिये गये प्राविधान के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकार नियमावली, 2015 दिनांक 03 दिसम्बर, 2015 को प्रख्यापित की गयी। उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकार नियमावली, 2015 के प्रख्यापन के उपरान्त प्रदेश भर के जन सूचना अधिकारीगण/प्रथम अपीलीय प्राधिकारीगण के प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान दिये गये अभिमत के आधार पर नियमावली में कतिपय संशोधन किये जाने की आवश्यकता महसूस की गयी। इसके दृष्टिगत मंत्रिपरिषद द्वारा नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है।

————————

इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर (ई0एम0सी0) की ग्रेटर नोएडा में स्थापना हेतु उ0प्र0 शासन द्वारा राज्य बजट से यूपीडेस्को को अवमुक्त धनराशि पर आरोपित/देय समस्त ब्याज माफ किये जाने का प्रस्ताव स्वीकृत

मंत्रिपरिषद ने कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–प्रथम, उत्तर प्रदेश द्वारा ऋण/निवेश पर 15 प्रतिशत ब्याज की दर से वर्ष 2015–16 में स्वीकृत 24.71 करोड़ रुपये एवं वित्तीय वर्ष 2016–17 में स्वीकृत 20 करोड़ रुपये पर कुल ब्याज 6,99,81,204 रुपये को माफ किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है।

यूपीडेस्को की भूमिका मात्र फेसिलिटेटर की रही है तथा ग्रेटर नोएडा में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर योजना में निगम को किसी भी प्रकार का वित्तीय लाभ निहित अथवा प्राप्त नहीं है। इसके दृष्टिगत मंत्रिपरिषद ने कार्य सम्पादन के मद में यूपीडेस्को द्वारा कुल 30.40 लाख रुपये की धनराशि के व्यय के समायोजन के प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान कर दी है।

ज्ञातव्य है कि भारत सरकार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स नीति के अनुरूप उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण उद्योगों को आकृष्ट करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा 'उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग नीति–2014' प्रख्यापित की गई, जिसमें विभिन्न वित्तीय एवं गैर वित्तीय प्रोत्साहन प्राविधानित किये गये।

इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर (ईएमसी) की स्थापना हेतु ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास क्षेत्र में यूपी डेवलपमेन्ट सिस्टम्स कारपोरेशन (यूपीडेस्को) को आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन के पत्र दिनांक 29.10.2014 द्वारा अधिकृत किया गया तथा दिनांक 13.11.2014 द्वारा चीफ प्रमोटर नामित किया गया।

तत्क्रम में ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा यूपीडेस्को के पक्ष में ईकोटेक–6 में 100 एकड़ तथा ईकोटेक–7 में 110 एकड़ अर्थात कुल 210 एकड़ भूमि आरक्षित की गयी।

ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित भूमि की आवंटन धनराशि एवं छमाही किस्तों का भुगतान किये जाने के लिए उ0प्र0 शासन द्वारा यूपीडेस्को को वर्ष 2015–16 में 24.71 करोड़ रुपये एवं 2016–17 में 20 करोड़ रुपये, इस प्रकार कुल 44.71 करोड़ रुपये यूपीडेस्को को निवेश/ऋण मद में धनराशि स्वीकृत की गयी थी जिस पर 15 प्रतिशत ब्याज की देयता थी।

यूपीडेस्को द्वारा भूमि की किस्तों आदि के लिए 29,67,93,261 रुपये का ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को भुगतान किया गया। शासन के आदेश पर उक्त आवंटित भूमि का प्राधिकरण को समर्पण किया जा चुका है तथा प्राधिकरण द्वारा यूपीडेस्को को धनराशि रिफण्ड कर दी गई है। यूपीडेस्को द्वारा ऋण/निवेश की मूल धनराशि 44.71 करोड़ रुपये कोषागार में दिनांक 7.3.2017 को जमा की जा चुकी है।

यूपीडेस्को द्वारा उक्त योजनान्तर्गत किए गए प्रचार–प्रसार इत्यादि हेतु कुल 30.40 लाख रुपये के व्यय पश्चात अर्जित ब्याज 22,38,039 रुपये की धनराशि राजकोष में दिनांक 5.10.2017 को जमा कर दी गई है।

————————

उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, लखनऊ द्वारा नाबार्ड से ऋण आहरित करने हेतु शासकीय गारण्टी बढ़ाए जाने के सम्बन्ध में

मंत्रिपरिषद ने शासनादेश संख्या– 2118/49–01–2019–भू0–08/07 दिनांक 03 जनवरी, 2019 द्वारा वर्ष 2018–19 (दिनांक 01 जुलाई, 2018 से 30 जून, 2019 तक) हेतु स्वीकृत 1500 करोड़ रुपए की शासकीय गारण्टी पूर्व निर्धारित शर्तों एवं सीमाओं के अन्तर्गत वर्ष 2019–20 (दिनांक 01 जुलाई, 2019 से 30 जून, 2020 तक) हेतु बढ़ाये जाने तथा आयुक्त एवं निबन्धक सहकारिता, उ0प्र0 लखनऊ को पूर्व निर्धारित शर्तों पर वर्ष 2019–20 (दिनांक 01 जुलाई, 2019 से 30 जून, 2020 तक) को 450 करोड़ रुपए की सीमा तक ऋण अथवा अन्य प्रकार से पुनर्वित्त आहरण की स्वीकृति देने का अधिकार प्रदान किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है।

उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0 द्वारा कृषकों को कृषि सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु दीर्घकालीन ऋण दिया जाता है। बैंक को उक्त धनराशि की पूर्ति नाबार्ड से ऋण के रूप में होती है। नाबार्ड से प्राप्त उक्त ऋण एवं उस पर देय ब्याज के लिये शासन की प्रत्याभूति प्रदान की जाती है। बैंक द्वारा सभी विनियोजकों को भुगतान किया जा रहा है, बैंक पर कोई बकाया नहीं है। नाबार्ड द्वारा बैंक को उक्त वित्तीयन प्रदान करने के पूर्व उ0प्र0 शासन से शासकीय गारण्टी निर्गत किए जाने की अपेक्षा की जाती है।

————————

आयुक्त, सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर के कार्यालय भवन के निर्माण हेतु ग्राम्य विकास विभाग की भूमि राजस्व विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किए जाने के सम्बन्ध में

मंत्रिपरिषद ने विकास खण्ड बलिया खेड़ी, सहारनपुर के परिसर स्थित गाटा संख्या–166, रकबा 1.055 हे0 भूमि सम्पूर्ण मय स्ट्रक्चर सहित आयुक्त, सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर कार्यालय के निर्माण हेतु राजस्व विभाग को निःशुल्क हस्तांतरित किए जाने एवं जिलाधिकारी सहारनपुर के आदेश संख्या–1126/12–ए/भू0व्य0 दिनांक 12 नवम्बर, 2018 द्वारा विकास खण्ड बलियाखेड़ी के कार्यालय भवन के लिए आरक्षित की गयी गाटा संख्या–14, रकबा–0.6730 हे0 स्थित ग्राम खनपुरा मुस्तकम, परगना हरौड़ा, तहसील–सहारनपुर की भूमि पर विकास खण्ड–बलियाखेड़ी कार्यालय भवन का निर्माण ग्राम्य विकास विभाग के बजट से कराए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है।

————————

राजकीय मेडिकल कॉलेज, झांसी, प्रयागराज, गोरखपुर तथा मेरठ से सम्बद्ध चिकित्सालयों में उच्चकोटि की साफ–सफाई व्यवस्था सुनिश्चित कराने के लिए हाउस कीपिंग सेवाओं को आउटससोर्स किए जाने का निर्णय

मंत्रिपरिषद ने राजकीय मेडिकल कॉलेज, झांसी, प्रयागराज, गोरखपुर तथा मेरठ से सम्बद्ध चिकित्सालयों में हाउस कीपिंग सेवाओं को समग्र रूप से आउटससोर्स किए जाने तथा इन चिकित्सालयों में स्वीपर/स्वीप्रेस/सफाई मजदूर के कुल 161 पदों (87 नियमित एवं 74 आउटसोर्सिंग) को समर्पित एवं 313 नियमित पदों को सम्बन्धित मेडिकल कॉलेजों में हस्तान्तरित करने का निर्णय लिया है।

इस निर्णय से क्वालिटी काउंसिल ऑफ इण्डिया (क्यू0सी0आई0), नई दिल्ली द्वारा की गई संस्तुति के आधार पर राजकीय मेडिकल कॉलेज, झांसी, प्रयागराज, गोरखपुर तथा मेरठ से सम्बद्ध चिकित्सालयों में उच्चकोटि की साफ–सफाई व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने हेतु हाउस कीपिंग सेवाओं को समग्र रूप से सेवा प्रदाता के माध्यम से आउटसोर्स किया जाएगा।

मंत्रिपरिषद ने यह निर्णय भी लिया है कि इन 313 पदों को डाइंग कैडर (मृत संवर्ग) घोषित करते हुए इनके सापेक्ष कोई नियमित भर्ती नहीं की जाएगी, मात्र आउटसोर्सिंग ऑफ मैनपावर से अन्तरिम व्यवस्था के रूप में कार्मिक लिए जा सकेंगे। समस्त नियमित कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने पर इन मेडिकल कॉलेजों के परिसर में भी आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विसेज के माध्यम से हाउस कीपिंग सेवाओं का संचालन किया जाएगा।

इन राजकीय मेडिकल कॉलेजों में हाउस कीपिंग सेवाओं को आउटसोर्स किए जाने पर आने वाले वार्षिक वास्तविक व्ययभार को विभागीय बजट में सुसंगत लेखाशीर्षक से वहन किया जाएगा।

————————————

जिला चिकित्सालय, देवरिया को उच्चीकृत कर राजकीय मेडिकल कॉलेज बनाये जाने हेतु जिला चिकित्सालय एवं जिला महिला चिकित्सालय, देवरिया के जर्जर एवं निष्प्रयोज्य भवनों के ध्वस्तीकरण के सम्बन्ध में

मंत्रिपरिषद ने केन्द्र सहायतित योजना Establishment of New Medical College Attached with Existing District/Referral Hospital (फेज–2) के अन्तर्गत जिला चिकित्सालय, देवरिया को उच्चीकृत कर राजकीय मेडिकल कॉलेज बनाये जाने हेतु जिला चिकित्सालय एवं जिला महिला चिकित्सालय, देवरिया के जर्जर एवं निष्प्रयोज्य घोषित भवनों का ध्वस्तीकरण करते हुए 566.09 लाख रुपए को बट्टे खाते में डाले जाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है।

————————

उ0प्र0 उप खनिज (परिहार) (47वां संशोधन) नियमावली, 2019 के प्रख्यापन के प्रस्ताव को मंजूरी

मंत्रिपरिषद ने उ0प्र0 उप खनिज (परिहार) (47वां संशोधन) नियमावली, 2019 के प्रख्यापन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है।

इसके तहत उप खनिजों के खनन पट्टा हेतु लेटर आफ इन्टेन्ट निर्गत होने के एक माह के अन्दर प्रस्तावक को अनुमोदन हेतु खनन योजना प्रस्तुत करना, अनुमोदन के एक माह के अन्दर पर्यावरणीय अनापत्ति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करना, पर्यावरणीय अनापत्ति की स्वीकृति की प्रक्रिया के दौरान आपत्तियों का समाधान करना, पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र निर्गत होने के उपरान्त एक माह के अन्दर पट्टा विलेख का निष्पादन कराना तथा बालू/मौरम के खनन पट्टों में विलेख निष्पादन उपरान्त खनन संक्रिया तत्काल प्रारम्भ करना तथा अन्य उप खनिजों हेतु तीन माह में प्रारम्भ किया जाना।

उक्त नियमों के उल्लंघन की दशा में अनुमोदन हेतु खनन योजना प्रस्तुत नहीं करने या पर्यावरण अनापत्ति हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं करने पर 10,000 रुपये प्रतिदिन की शास्ति तथा पर्यावरण अनापत्ति की तिथि से एक माह के भीतर पट्टा विलेख का निष्पादन करने में विफल होने पर प्रस्तावक द्वारा जमा प्रथम किश्त और प्रतिभूति धनराशि जब्त करते हुए लेटर ऑफ इन्टेन्ट निरस्त करने का प्राविधान किया गया है। यदि प्रस्तावक द्वारा निर्धारित समयावधि में पर्यावरण अनापत्ति हेतु वांछित प्रक्रियाओं को पूरा नहीं किया जाना है, तो जिला मजिस्ट्रेट उसके पक्ष में जारी लेटर ऑफ इन्टेन्ट निरस्त कर सकता है।

ई–निविदा सह ई–नीलामी हेतु बिडकर्ता का हैसियत प्रमाण पत्र अथवा हैसियत प्रमाण पत्र के साथ बैंक गारण्टी, जो बोली की धनराशि के 25 प्रतिशत की कीमत से कम न हो, अनिवार्य किया गया है, जिससे खनिज बकाये के दोषियों से प्रभावी वसूली की जा सके।

खनन पट्टा अभ्यर्पण हेतु आवेदन प्रस्तुत करने पर पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र को हस्तान्तरित करने सम्बन्धी अनापत्ति एवं देय समस्त धनराशियों के जमा की अनापत्ति के आधार पर खनन पट्टे का अभ्यर्पण किया जा सकेगा।

उप खनिज बालू/मौरम के खनन पट्टों की त्रैमासिक किश्त के स्थान पर मानसून अवधि (जुलाई, अगस्त, सितम्बर) जिसमें खनन कार्य बन्द होता है, को छोड़कर शेष 09 माह के लिए माहवार किश्त का प्राविधान किया गया है।

कृषिकीय भूमि पर बाढ़ से एकत्रित बालू और मौरम के स्थान पर बालू या मौरम या बजरी या बोल्डर या इनमें से कोई भी मिली–जुली अवस्था में हो, को जोड़ा गया है तथा इसे हटाये जाने हेतु अनुज्ञा पत्र की पात्रता की शर्तों में विगत 05 वर्षों में

कृषि कार्य हेतु भूमि उपयोग की जा रही थी तथा रायल्टी का दो गुना लिये जाने का प्राविधान किया गया है।

गैर कृषि निजी भूमि में उपलब्ध इमारती पत्थर एवं बालू/मौरम के क्षेत्रों, जो न्यूनतम एक हेक्टेयर हो, को ई–निविदा/ई–नीलामी/ई–निविदा सह ई–नीलामी के माध्यम से स्वीकृत किये जाने, उसमें भूस्वामी को प्रथम इनकार का अधिकार दिये जाने तथा प्रथम इनकार के अधिकार का प्रयोग नहीं करने पर उच्चतम बिड दर के आधार पर स्वीकृत किये गये खनन पट्टा अन्तर्गत पट्टाधारक द्वारा भू स्वामी को राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर विनिश्चित धनराशि दिये जाने का प्राविधान किया गया है।

उप खनिज बालू/मौरम के अधिकतम पांच खनन पट्टे या चार सौ हेक्टेयर किसी एक व्यक्ति के पक्ष में स्वीकृत किये जाने के प्राविधान थे, जिसे संशोधित कर अधिकतम दो खनन पट्टे या पचास हेक्टेयर किया गया है।

खनन पट्टा स्वीकृत किये जाने हेतु क्षेत्रों की घोषणा/विज्ञप्ति में क्षेत्रों के जियो–कार्डिनेटस का उल्लेख किये जाने तथा सीमा बिन्दुओं का जियो–कोआर्डिनेट लेते हुए सीमांकन/सर्वेक्षण का प्राविधान किया गया है, ताकि सीमांकन में विवाद की स्थिति उत्पन्न न हो।

भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार पट्टाधारक द्वारा खनिजों की लोडिंग करने का प्राविधान तथा उल्लंघन की दशा में 25000 रुपये की शास्ति का प्राविधान किया गया है।

खनन पट्टाधारक पर बकाया धनराशि को उसके द्वारा जमा प्रतिभूति से समायोजित कर अवशेष धनराशि हेतु वसूली प्रमाण पत्र निर्गत करने तथा बकाया देयों का भुगतान नहीं करने पर खनन पट्टा समाप्त किये जाने की दशा में पट्टेदार का नाम जिलाधिकारी द्वारा दो वर्ष से अनाधिक ऐसी अवधि के लिए जैसा कि वह उचित समझे काली सूची में डाला जा सकता है, का प्राविधान किया गया है।

इमारती पत्थर के ई–निविदा सह ई–नीलामी के माध्यम से स्वीकृत खनन पट्टों जिसका क्षेत्रफल 02 हेक्टेयर से अधिक है, को स्वीकृति के दो वर्ष के अन्दर पट्टाधारक द्वारा क्रेशर लगाना अनिवार्य किया गया है।

प्रपत्र एम0एम0–11/ई एम0एम0–11 में उप खनिजों के खनिमुख मूल्य का उल्लेख किये जाने का प्राविधान किया गया है।

————————————